>

Title: Need to provide Rs. 7500/- as minimum pension to semi-government employees.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान विभिन्न सरकारी पेंशन योजनाओं में होने वाली अनियमितताओं की ओर दिलाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) सरकार की सभी पेंशन योजनाएं अनुदान पर चलती हैं, जैसे संजय गांधी निराधार योजना, श्रवण बाल योजना इत्यादि।...(व्यवधान) प्राविडेंट फण्ड योजना वर्ष 1995 से चालू की गई थी, जिसमें कामगार 8.33 प्रतिशत योगदान करते हैं। ...(व्यवधान) 10 वर्ष की सेवा या 58 वर्ष की उम्र के बाद यह पेंशन आरम्भ हो जाती है। इस योजना के तहत 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। ...(व्यवधान) 22 वर्ष बाद इस योजना के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।...(व्यवधान) देश भर में ईपीएफ योजना, 1995 के अन्तर्गत प्राइवेट और सेमी-प्राइवेट कर्मचारियों को भविष्य निर्वाह निधि की ओर से 1000 रुपए की जगह, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त, 2017 के अपने निर्णय में 7500 रुपये पेंशन देने का आदेश दिया था। ...(व्यवधान) अगस्त, 2017 में 1000 रुपये की जगह 7500 रुपये पेंशन देने का आदेश दिए जाने के बाद भी, अभी तक उनको इसका भुगतान नहीं हुआ है।...(व्यवधान)

संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की सिफारिश की है।...(व्यवधान) सरकार के पास कामगारों के दो लाख, 80 हजार करोड़ रुपए जमा हैं।...(व्यवधान) इसमें लगभग 40 हजार करोड़ रुपए का क्लेम नहीं हुआ है।...(व्यवधान) कामगार के अंशदान से सरकार के खजाने में प्रत्येक वर्ष छः हजार, छः सौ करोड़ रुपए जमा होते हैं, फिर भी वह भुगतान करने में कोताही बरत रही है।...(व्यवधान) सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पेंशनधारियों को उचित भुगतान करे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद सावंत, श्री अनिल शिरोले, श्री शरद त्रिपाठी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और श्री ए. टी. नाना पाटील को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।